ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

मतदान प्रकिया की स्वच्छता और निर्वाचन आयोग की भूमिका

Dr. Sukhjinder Singh

Assistant Professor, Department of Humanitis & Social Sciences, Govt. Engineering College, Jhalawar, India

सार

निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान तैनान किए जाने वाले सभी तरह के पर्यवेक्षकों को चुनाव तैयारियों की जानकारी देने के लिए आज उनके साथ बैठक की। इस बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा,भारतीय पुलिस सेवा,भारतीय राजस्व सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों ने भाग लिया। इन्हें सामान्य,पुलिस तथा व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका समझाते हुए , मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों को अपनी बेहतरीन सेवाएं देनी हैं। उनके लिए यह सुनिश्चित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि कोई गलती न हो। श्री अरोड़ा ने कहा कि कुछ राज्यों में हाल में हुए चुनावों में किए गए अच्छे कामों के साथ ही उसने , ईवीएम-वीवीपीएटी प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने में हुयी अनियमितताओं या मतदाता सूची से कुछ नामों के गायब होने, या वोटों की गिनती में देरी जैसी खामियों के छोटे मोटे प्रतिशत को भी संज्ञान में लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए 1950 में एक अनूठी संस्था के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से ही निर्वाचन आयोग विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों को साथ लेकर परिभाषित कर्तव्यों के अनुसार चुनाव कराने में मदद कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पर्यवेक्षकों के रूप में वे अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। श्री अरोड़ा ने कहा कि बदले हुए समय के साथ चुनाव में पैसे की ताकत और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की चितांए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का प्रयास न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वच्छ और नैतिक बनाए रखना भी है।

परिचय

श्री अरोड़ा ने अधिकारियों से कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में उन्हें आयोग की आंख और कान की तरह काम करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि मतदाओं को प्रलोभन देने के लिए नित नए तरीके अपनाए जा रहे हैं व्यय पर्यवेक्षकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है।[1]

चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि पर्यवेक्षकों के रूप में सभी को आयोग के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। श्री लवासा ने इस मौके पर हाल ही में जारी किए गए सीविजिल ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इसने प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने में मदद की है ताकि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर आयोग को सतर्क नजर रखने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि इस ऐप की उपलब्धता ने निर्वाचन प्रणाली की देखरेख और प्रबंधन करने वाले अधिकारियों पर भी अधिक जिम्मेदारी डाल दी है। उन्होंने कहा कि कि पर्यवेक्षकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह चुनाव प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए पूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें क्योंकि असलियत में पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि हैं।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

दिन भर चले सत्र के दौरान उप चुनाव आयुक्तों और महानिदेशकों द्वारा चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिकारियों को व्यापक और गहन जानकारी दी गई। चुनाव की योजना, प्रेक्षक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मतदाता सूची के मुद्दों, आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन, कानूनी प्रावधानों, ईवीएम / वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया की कार्यप्रणाली और आयोग के प्रमुख एसवीईईपी (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम के तहत मतदाता सुविधा के लिए शुरु की गई गतिविधियों पर विस्तृत विषयगत प्रस्तुतियाँ दी गईं। । पर्यवेक्षकों को मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई विभिन्न आईटी पहलों और मोबाइल अनुप्रयोगों के साथ–साथ क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के प्रभावी और कुशल प्रबंधन से भी परिचित कराया गया। पर्यवेक्षकों को इस अवसर पर ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों के कामकाज की सजीव जानकारी दी गई और उन्हें यह बताया गया कि ये मशीनें किस तरह से पूरी तरह सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय हैं तथा इनके साथ किसी तरह की छेड़ छेड़छाड नहीं की जा सकती । इस अवसर पर पर्यवेक्षको को आयोग द्वारा विभिन्नि राज्यों /संधशासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रबंधन से संबधित विभिन्न प्रकाशनों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।[2]

विचार - विमर्श

निर्वाचन आयोग ने पहली बार पर्यवेक्षक ऐप के नाम से नया मोबाइल एप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकते है। दूसरी ओर ड्यूटी पर रहते हुए सभी पर्यवेक्षक इस मोबाइल ऐप के जरिए चुनाव आयोग की ओर से प्रेषित की जाने वाली अधिसूचनाएं और अत्यावश्यक संदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति के क्षेत्र के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते है, अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते है या उसका

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

नवीकरण कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए पर्यवेक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी ई-विजिल मामलों पर भी नजर रख सकते हैं।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम, स्वीप के रूप में अधिक जाना जाता है। यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2009 से हम भारत के निर्वाचकों को सजग करने और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी जानकारी से लैस करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वीप का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में सही मायनों में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम विविध प्रकार के सामान्य एवं लक्षित ऐसे इंटरवेंशनों पर आधारित हैं, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ-साथ निर्वाचनों के पिछले चक्रों में निर्वाचकीय सहभागिता के इतिहास और उनसे मिली सीख के अनुसार अभिकल्पित किए गए हैं। [3]

हम सदैव सिविल सोसायटी संगठनों, मीडिया और कारपोरेट घरानों के साथ व्यापक सहक्रियात्मक संबंध कायम करने के माध्यम से सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य को हासिल करने की अपेक्षा करते हैं और यहां तक कि हम लोगों से और अधिक प्रश्नों, सुझावों, और सहभागिता की उम्मीद करते हैं।

Copyright to IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

परिणाम

चंबा, स्थानीय बचत भवन में भारत निर्वाचन आयोग के नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनावी प्रक्रिया को पूरी करवाने में जुटे निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक कुलदीप नारायण ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना ही निर्वाचन आयोग का एकमात्र लक्ष्य है।

ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी मतदाता को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने की प्रक्रिया में नियुक्त अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस संबंध में कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा तय समय अवधि में किया जाना चाहिए। आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक दयानिधन पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ पूरी की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मतदाता बिना किसी दबाव और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लगाए जाने वाले पोस्टर और बैनर इत्यादि की पूर्व अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए। चुनाव पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि पर्यवेक्षकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अगर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कोई शिकायत हो तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुदेश मोख्टा ने बताया कि जिले में कुल 599 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 2 ऑगजिलीयरी मतदान केंद्र भी मौजूद हैं । उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री को नहीं लगाया जा सकता है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को ये सुनिश्चत करना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो।[4]

जिला प्रशासन के द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन और भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए पीठासीन पदाधिकारियों व मतदान पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

डॉ. आदित्य प्रकाश के निर्देशानुसार मंगलवार को विधानसभावार नियुक्त पीठासीन पदाधिकरी व मतदान पदाधिकारियों को इंटर हाई स्कूल व बालिका उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सुबोध कुमार द्वारा यह बताया गया कि सभी मतदान व पीठासीन पदाधिकारी निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन संचालन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभाराधीन बूथ के लिए संपूर्ण कानूनी शक्ति प्राप्त है। लिहाजा चुनाव कराने व ईवीएम, वीवीपैट संचालन की प्रक्रिया सहित चुनाव संबंधी प्रमुख विधि की जानकारी रखना अनिवार्य है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव को टीम वर्क समझकर कार्य संपादित कराने की जिम्मेदारी होगी।

भारत, शासन की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और इस प्रणाली के केन्द्र में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को आयोजित करने के प्रति प्रतिबद्धता है। ये निर्वाचन सरकार की संरचना, संसद के दोनों सदनों, राज्यो एवं संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभाओं की सदस्यता, और राष्ट्रपतित्व एवं उप-राष्ट्रपतित्व का निर्धारण करते हैं।
निर्वाचन, संवैधानिक उपबंधों, जिनका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा अनुपूरण किया जाता है, के अनुसार संचालित किए जाते हैं। प्रमुख कानून हैं-लोक प्रतिनिधित्वक अधिनियम, 1950, जो मुख्यतया निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण से

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

सबंधित हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जिसमें निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचन उपरांत विवादों के सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण है। भारत के उच्चतम न्यांयालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां निर्वाचनों के संचालन में किसी दी गई स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित कानून चुप है या अपर्याप्ता उपबंध किए गए हैं तो निर्वाचन आयोग के पास उपयुक्त तरीके से कार्रवाई करने के लिए संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियां हैं।

निर्वाचन-क्षेत्र एवं सीटों का आरक्षण

देश को 543 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक संसद के निचले सदन, लोक सभा के लिए एक सांसद को निर्वाचित करता है। संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के आकार एवं बाह्यरूप का एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारण किया जाता है जिसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का गठन करना होता है जिनमें भौगोलिक विचारणीयताओं और राज्यों एवं प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन मोटे तौर पर एक समान आबादी हो।[5]

निष्कर्ष

राज्य सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं न कि समस्त नागरिकों के द्वारा अधिकतर संघीय प्रणालियों के उलट प्रत्येक राज्य द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कमोबेश उनकी आबादी के अनुपात में होती है। वर्तमान में, विधान सभाओं द्वारा राज्य सभा के 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवाओं के प्रतिनिधियों के रूप में बारह सदस्य भी नामित किए जाते हैं। राज्य सभा सदस्य छह वर्षों के लिए सेवा दे सकते हैं, और प्रत्येक 2 वर्षों में एक तिहाई विधान सभा निर्वाचित होने के साथ निर्वाचन सांतरित होते हैं।

राष्ट्रपति यदि यह महसूस करते हैं कि आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो वे लोकसभा के 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, और साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सभा के 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

भारत एक संघीय देश हैं, और संविधान राज्यों एवं संघ राज्या-क्षेत्रों को अपनी स्वयं की सरकार के ऊपर उल्लेंखनीय नियंत्रण का अधिकार देता है। विधान सभाएं (विधायी सभाएं) भारत के 28 राज्यों में सरकार का प्रशासन सम्पांदित करने के लिए स्थाापित प्रत्यवक्ष रूप से निर्वाचित निकाय होती हैं। कुछ राज्यों में, ऊपरी एवं निचले दोनों सदनों के साथ विधान-मंडलों के द्विसदनीय संगठन हैं। सात संघ राज्यो-क्षेत्रों में से दो नामत:, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधान सभाएं हैं।

विधान सभाओं के निर्वाचन, राज्योंं और संघ राज्य-क्षेत्रों को एकल-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिए जाने के साथ, लोक सभा निर्वाचन की ही तरह निष्पा दित किए जाते हैं। इसमें भी सबसे आगे रहने वाली निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। विधान सभाएं, आबादी के अनुसार, अलग-अलग साइज में होती हैं। 403 सदस्यों के साथ, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विधान सभा है:, 30 सदस्योंं के साथ पांडिचेरी सबसे छोटी विधान सभा है।
राष्ट्रपति विधान सभाओं, लोक सभा, और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करते हैं (हालांकि वे पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं)। मतों का आवंटन करने के लिए एक फार्मूले का उपयोग किया जाता है ताकि प्रत्येक राज्य की आबादी और एक राज्य के विधान सभा सदस्य कितनी संख्या में मत डाल सकते हैं, के बीच संतुलन बना रहे, और राज्य विधान सभा सदस्यों और राष्ट्रीय संसद के सदस्यों के बीच एक समान संतुलन मिले। यदि किसी भी अभ्यर्थी को अधिसंख्य मत नहीं मिले तो एक प्रणाली है जिसके द्वारा हारने वाले अभ्यर्थी स्पर्धा से बाहर हो जाते हैं और उनके मत अन्य अभ्यर्थियों को तब तक अंतरित होते रहते हैं जब तक कि एक अभ्यर्थी बहुमत न प्राप्त कर ले। उप-राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा के निर्वाचित एवं नामित सभी सदस्यों के प्रत्यक्ष मत के द्वारा निर्वाचित होते हैं।
भारत मे लोकतांत्रिक प्रणाली सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार के इस सिद्धांत पर आधारित है; कि 18 साल की आयु का कोई भी नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है (1989 के पहले आयु सीमा 21 वर्ष थी)। मत देने का अधिकार जाति, पंथ, धर्म या लिंग का लिहाज किए बिना है। जो लोग विक्षीप्त दिमाग के माने जाते हैं, और जो कतिपय आपराधिक अपराधों में दोष-सिद्ध किए गए हैं, उन्हें मत देने की अनुमति नहीं है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

देश को 543 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक संसद के निचले सदन, लोक सभा के लिए एक सांसद को निर्वाचित करता है। संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के आकार एवं बाह्यरूप का एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारण किया जाता है जिसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का गठन करना होता है जिनमें भौगोलिक विचारणीयताओं और राज्यों एवं प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन मोटे तौर पर एक समान आबादी हो।

लोक सभा के निर्वाचन सबसे आगे रहने वाले निर्वाचन तंत्र का उपयोग करके सम्पन्न किए जाते हैं। देश पृथक-पृथक भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है जिन्हें निर्वाचन-क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और निर्वाचकगण एक अभ्यर्थी के लिए एक मत दे सकते हैं (यद्यपि अधिकतर अभ्यर्थी निर्दलीयों रूप में खड़े होते हैं फिर भी, सर्वाधिक सफल अभ्यर्थी राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में खड़े होते हैं, विजेता वह अभ्यर्थी होता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं

मतदान सामान्यता भिन्न्-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में आयोजित किए जाते हैं ताकि सुरक्षा बल तथा निर्वाचन के अनुवीक्षण-कर्ता कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो सकें और निर्वाचन के दौरान निष्पक्ष मतदान कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जाती है तथा मतपत्र मुद्रित किए जाते हैं। मत-पत्र अभ्यर्थियों के नामों (निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित भाषाओं में) और हर एक अभ्यर्थी को आबंटित प्रतीकों के साथ मुद्रित किए जाते हैं। मान्यता-प्राप्तत दलों के अभ्यर्थियों को उनके दलीय प्रतीक आबंटित किए जाते हैं।

मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। मतदान केन्द्र साधारणतया सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूलों तथा सामुदायिक भवनों में स्थापित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यथासंभव अधिक से अधिक निर्वाचक मतदान करने में सक्षम हो सकें, निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस बात की कोशिश करते हैं कि प्रत्ये क मतदाता से 2 कि.मी. के भीतर एक मतदान केन्द्र हो तथा यह कि किसी भी मतदान केन्द्र में 1500 से अधिक मतदाता न हों। प्रत्येक मतदान केन्द्र निर्वाचन के दिन कम से कम 8 घंटे के लिए खुला रहे।[6]

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

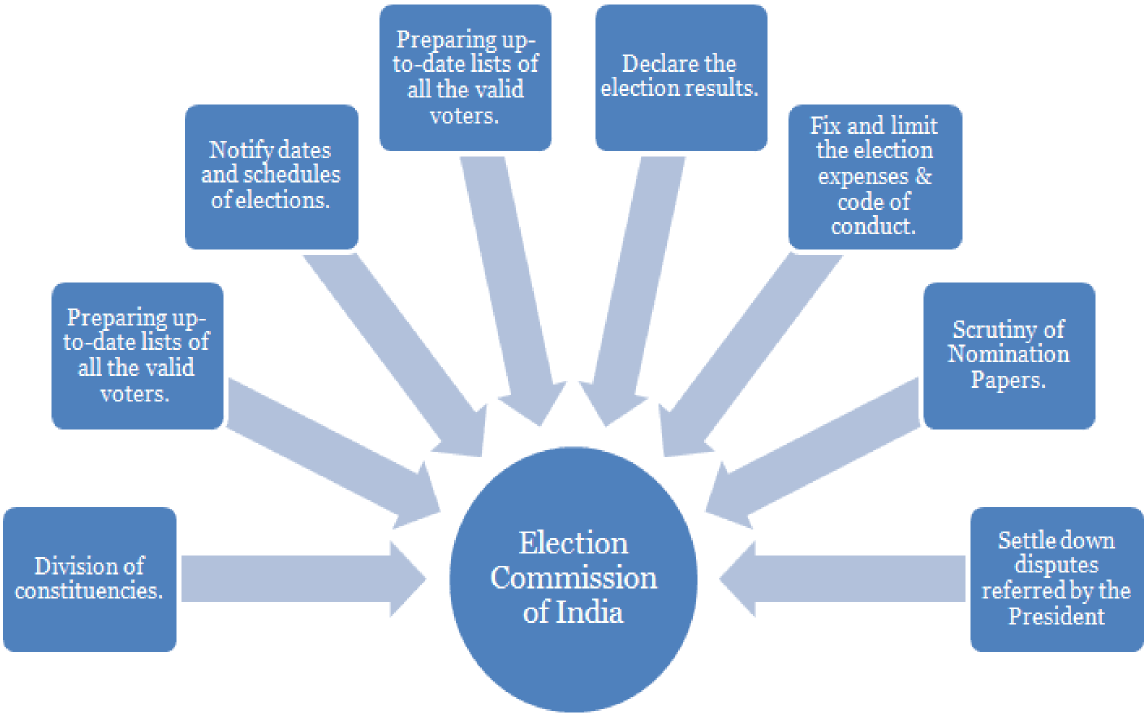

मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर निर्वाचक की निर्वाचक नामावली के प्रति जांच की जाती है तथा एक मतपत्र आबंटित किया जाता है। निर्वाचक मतदान केन्द्र में एक स्क्री न्डथ कम्पार्टमेंट के भीतर अपने पसन्द के अभ्यार्थी के प्रतीक पर या उसके समीप मतपत्र पर रबड़ की मुहर लगाकर मतदान करता है। तब मतदाता मतपत्र को मोड़कर एक सामान्यक मत पेटी में डाल देता है, जो पूरी तरह पीठासीन अधिकारी तथा अभ्यरर्थियों के मतदान एजेंटों की नजरों के सामने किया जाता है। मुहर लगाने की इस प्रक्रिया से मत पत्रों को मतदान केन्द्र से नजर बचा कर निकाले जाने तथा मतपेटी में नहीं डाले जाने की संभावना दूर हो जाती है।

आयोग ने 1998 से, मतपत्रों के बजाय इलेक्ट्रॉयनिक वोटिंग मशीनों का निरंतर बढ़ती संख्या में प्रयोग किया है। वर्ष 2003 में, सभी राज्जीय निर्वाचन तथा उप-निर्वाचन ईवीएम का इस्तेमाल करके आयोजित किए गए। इससे प्रोत्साहित होकर आयोग ने वर्ष 2004 में कराए जाने वाले लोक सभा निर्वाचन के लिए केवल ईवीएम का ही प्रयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्वाचन में दस लाख से अधिक ईवीएमों का प्रयोग किया गया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रचार अभियान निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाए तथा लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा से मतदान कर सकें, निर्वाचन आयोग बड़ी संख्या में प्रेक्षकों को नियुक्त करता है। निर्वाचन व्यूय प्रेक्षक उस धनराशि पर अंकुश रखते हैं जो प्रत्येक अभ्यर्थी और दल निर्वाचन में खर्च करता है।

मतदान समाप्त होने के पश्चात, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों तथा प्रेक्षकों के पर्यवेक्षण में मतों की गणना की जाती है। मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी के नाम की विजेता के रूप में घोषणा करते हैं जिसे सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त हुए हों, तथा संबंधित सदन के निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा निर्वाचित घोषित करते हैं।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

संदर्भ

1. "Contact Us". Election Commission of India. मूल से 2016-12-26 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि January 10, 2018.
2. ↑ "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – निर्वाचन तन्त्र". Election Commission of India. मूल से 2 दिसंबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 फ़रवरी 2009.
3. "Election Commission (Condition Of Service Of Election Commissions And Transaction Of Business) Act, 1991". Vakil No. 1. मूल से 23 जनवरी 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 Sep 2012.
4. ↑ "The High Court and Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2008" (PDF). PRS India. मूल (PDF) से 22 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 जुलाई 2017.
5. ↑ "Previous Chief Election Commissioners". Election Commission of India. मूल से 21 नवंबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 फ़रवरी 2009.
6. ↑ "एचएस ब्रह्मा बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त". बी॰ बी॰ सी॰ हिन्दी. मूल से 21 जनवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 जनवरी 2015.